उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-116/2016/ 792/22-4-16-48(21)/15

लखनऊ : दिनांक- 02 अगस्त, 2016

## विज्ञप्ति/नियुक्ति

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर- 669 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय गैर सरकारी जेल वीक्षकों को नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1495/22-4-2002-48(23)/99, दिनांक 07-01-2003 में उल्लिखित शर्तों के अधीन **श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी-ग्राम- आकलपुर, पोस्ट-बहेड़ी, जनपद-बरेली को जिला कारागार, बरेली में एवं श्रीमती तबस्सुम खान पत्नी मो0 कलीम खॉन, निवासी-फ्लैट नं0-1 अपार्टमेन्ट नियर इनफानिया, मदरसा अकबरी गेट लखनऊ हाल फाईक इन्क्लेब-252, पीलीभीत बाईपास रोड, जनपद-बरेली को केन्द्रीय कारागार, बरेली** में गैर सरकारी जेल वीक्षक नियुक्त करते हैं। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इनकी नियुक्ति इस आदेश के निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष (02 वर्ष) तक की अवधि के लिए होगी, यदि इसके पूर्व ही इनकी नियुक्ति शासन द्वारा निरस्त न कर दी जाय।

एस0के0रघुवंशी

सचिव।

संख्या- 116/2016/792(1)/22-4-16-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार, बरेली।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in